

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री धनश्याम मीना, पूर्व प्रधानाचार्य, वर्तमान जि.शि.अ. (मुख्यालय) माध्यमिक, दौसा	01.08.64	06.04.91 व्याख्याता	05.04.11 20 वर्ष	06.04.11 द्वितीय (संशोधित)	15600-39100 6600/-
02	श्री बाबूलाल किरार प्रधानाचार्य, राउमावि, धवली-शाहपुरा (जयपुर)	05.01.60	02.07.86 व0अ0	01.07.16 30 वर्ष.	02.07.16 तृतीय	15600-39100 6800/-
03	श्री मांगीलाल मोबारसा प्रधानाध्यापक, राबामावि, बालराई (पाली)	07.09.62	01.09.84 व0अ0	31.08.14 30 वर्ष	01.09.14 तृतीय	15600-39100 6000/-
04	श्री रूपाराम राठौड़, प्रधानाचार्य, राउमावि, दर्ईपड़ा खीचियान-लूणी (जोधपुर)	07.05.65	24.12.94 व्याख्याता	23.12.14 20 वर्ष	24.12.14 द्वितीय (संशोधित)	15600-39100 6800/-
05	श्री इन्द्रदान से0नि0 प्रधानाचार्य, राउमावि, भीखोडाई जैसलमेर	20.01.57	23.11.96 व्याख्याता	22.11.16 20 वर्ष	23.11.16 द्वितीय	15600-39100 6800/-
06	श्री नारायण सिंह प्रधानाचार्य, राआउमावि, गरनिया-जैतारण (पाली)	21.01.60	16.12.97 व्याख्याता	15.12.17 20 वर्ष	16.12.17 द्वितीय	पे-मैट्रिक लेवल- 17
07	श्री बीरमराम चोरडिया से0नि0 प्रधानाचार्य, राउमावि, देवलीकलां (पाली)	12.11.56	26.06.85 व्याख्याता	25.06.15 30 वर्ष	26.06.15 तृतीय	15600-39100 6800/-

उक्त प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(नथमल डिडेल)
आईएस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

कृ.प.उ.....2.....

(2)

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/ACP/जय-जेध-पाली/2019/5556 दिनांक: 28-06-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं० स०-----
- 3- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 5-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।